

582 — — 31

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि / 3 / 2010 पार्ट-IV

जयपुर दिनांक २४ MAY 2
2015

परिपत्र

विषय :- टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजनाएँ में 5 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.02.2013 जारी किया गया था, जिसमें बिन्दु सं. 2 पर ग्रुप हाउसिंग (फ्लैटेड ड्वलपमेन्ट) की योजनाओं में क्षेत्रफल सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।

अनेक प्रकरणों में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार के अलावा नाले आदि के लिए खातेदारी की भूमि निर्माण निषेद्ध होने के कारण विकासकर्ता को छोड़नी पड़ती है; अतः उपरोक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुये बिन्दु सं. 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“ग्रुप हाउसिंग (फ्लैटेड ड्वलपमेन्ट) की योजनाओं में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार, नाले, नहर तथा वॉटर बॉडी की भूमि हेतु 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की भूमि विकासकर्ता के द्वारा यदि निःशुल्क रामर्पित की जावें अथवा निर्माण निषेद्ध होने पर ऐसी योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल सुविधाओं हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे तो इस स्थिति में इस प्रावधान में समानुपात में छूट दी जायेगी। उदाहरणार्थ - किसी फ्लैटेड ड्वलपमेन्ट की योजनाओं में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार/नाले/नहर/वॉटर बॉडी की भूमि हेतु 12 प्रतिशत क्षेत्र छोड़ा जाता है तो सुविधा क्षेत्र हेतु 5 प्रतिशत के रथान पर 3 प्रतिशत क्षेत्रफल ही नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित करना होगा।”

शास्यपाल की आङ्गा से,

(Ch ०५।८।१)
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजरथान सरकार।
2. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजगर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजगर।
3. आयुक्त, राजरथान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. पुरुष सचिव नियोजन, राजरथान, जयपुर।
5. सांचेत, नगर विकास नाला, जयपुर।
6. निदेशक, रथानीय निकाय विभाग, राजरथान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रांगती।

(Ch ०५।८।१)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय